राजस्थान सरकार

निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 113/2018/प्रा0पत्र/ निर्णय दिनांक :– 17.07.2019

अनवान

1. छगु पिता छोकु जाति तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. हीरा पिता चुना जाति तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. नेनुड़ी बेवा चुना जाति तेली उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

———प्रार्थीगण

बनाम

1. तुलसा पिता डालु जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. प्रभु पिता रता जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. भीमा पिता भजा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. दूदा पिता नाथु जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. सोहन पिता नाथु जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी तेलीखेडा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला–राजसमन्द

———प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज.ले.एक्ट

उपस्थित :– 01. रेखा शर्मा वकील वादी

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम तेलीखेडा पटवार [illegible] कुन्दवा तहसील देवगढ़ में प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित हैं जिसके खाता नम्बर [illegible] आराजी नम्बर 108 रकबा 0.12, आराजी नम्बर 205 रकबा 1.12 आराजी नम्बर 210 [illegible] 22.08, आराजी नम्बर 275 रकबा 0.19 आराजी नम्बर 353 रकबा 6.06 कुल किता [illegible] कुल रकबा 31.17 बीघा हैं। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी होकर प्रार्थी का कब्जा [illegible] हैं एवं इसका उपयोग – उपभोग भी प्रार्थी ने ही कर रखा हैं। प्रार्थी उक्त भूमि पर [illegible] रूप से कास्त करता चला आ रहा हैं किन्तु प्रार्थी की उक्त भूमि क चारो तरफ [illegible] की पक्की बाउण्ड्री अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण जो प्रार्थी की भूमि से [illegible] हुऐ पडौसी हैं हर समय फसल बुवाई एवं कटाई के सीमा संबंधी विवाद करते रहते [illegible] जिससे प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमों के लिये विवश होना पडता हैं। मौके पर अशान्ति [illegible] हैं जिससे प्रार्थी अपनी भूमि पर शान्तिपूर्वक कास्त भूमि का उपयोग उपभोग नंहीं [illegible] पा रहा हैं। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि को अपना बनाकर नाजायज अतिक्रमण करने [illegible] नशा रखता हैं एवं अनावश्यक विवाद पैदा करता हैं जबकि उक्त भूमि पर विपक्षीगण [illegible] कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिये प्रार्थी उक्त भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता [illegible] भूमि की पत्थरगढी हो जाने पर सीमा संबंधी जो विवाद हैं वह हमेशा के लिये समाप्त [illegible] जाएगा और प्रार्थी अपनी भूमि पर शान्तिपुर्वक काश्त कर सकेगा। अतः प्रार्थी का [illegible] पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के [illegible] प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के [illegible] जारी किये गये। विपक्षीगण को जारी सम्मन तामील हो जाने पर भी कोई जबाव [illegible] नहीं किया बल्कि बावजूद तामील के अनुपस्थित रहे। विपक्षीगण के बावजूद सूचना [illegible]स्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई हैं। वकील प्रार्थी ने प्रकरण [illegible] बहस की विद्वान वकील प्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी की [illegible]दारी भूमि की पत्थरगढी नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन सीमा संबंधी विवाद करते [illegible] हैं। कभी प्रार्थी की भूमि को हांक लेते हैं कभी घास फसल वगैरह काट लेते हैं। [illegible] उक्त भूमि की पत्थरगढी हो जाती हैं तो सीमा संबंधी जो विवाद हैं वो हमेशा के [illegible] समाप्त हो जाएगा और प्रार्थी शान्तिपूर्वक उसकी भूमि का उपयोग उपभोग कर [illegible]। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें तथा प्रार्थी की उक्त वर्णित [illegible] की पत्थगढी के आदेश प्रदान करावें।

हमने प्रार्थी [illegible]

दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा निशान [illegible] देवगढ की जमाबन्दी [illegible]

तेलीखेडा पटवार हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ की जमाबन्दी [illegible]

[illegible] जा सकता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम [illegible] हल्का कुन्दवा तहसील देवगढ़ के खाता नम्बर खाता नम्बर 103 आराजी नम्बर 128 रकबा 0.12, आराजी नम्बर 205 रकबा 1.12 आराजी नम्बर 210 रकबा 22.08, आराजी नम्बर 275 रकबा 0.19 आराजी नम्बर 353 रकबा 6.06 कुल किता 5 कुल रकबा 31.17 बीघा भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्र जारी करा मौके पर पत्थरगढी करा मौके परचा पेंश करें।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ जिला–राजसमन्द